99 (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी नीति की समीक्षा

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 6.3.1985 के का.ज्ञा. सं. 5(25)/83 बी पी ई (पी एस ई वी) और दिनांक 26.6.2000 के का.ज्ञा. सं. 18(4)/98– जी एम–जी एल–26 का हवाला देने का निदेश हुआ है। इसमें निर्धारित नीति के अनुसार रक्षा सेवाओं के व्यक्तियों सहित सरकारी अधिकारियों की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पदों (चाहे निदेशक मंडल स्तर के हों अथवा उससे निचले स्तर के हों) पर प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं है। सरकारी अधिकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में केवल तत्काल आमेलन आधार पर पदभार ग्रहण कर सकते हैं। यह नीति एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से दूसरे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में पेद के स्तर पर ध्यान दिए बिना पदभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं। इन कार्यालय ज्ञापनों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कतिपय श्रेणियों के पदों के संबंध में नीति में छूट की भी व्यवस्था की गई है।

2. सरकार ने नीति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पदों पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित मौजूदा रोक जारी रहनी चाहिए।

3. तथापि, प्रतिनियुक्ति की अनुमति निम्नलिखित मामलों में दी जा सकती हैः–

(i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों और क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों के पदों जिनके लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क और समन्वय अपेक्षित होता है और जहां राज्य सरकार में प्राप्त विशेषज्ञता की संगठनात्मक क्षमता के लिए आवश्यकता होती है। उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची, जिनमें मुख्य कार्यपालकों और क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुखों के पदों में छूट दी जा सकती है, को प्रतिबंधित रहना चाहिए और उसे सामान्यतया बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ऐसी सूची ए सी सी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग द्वारा अलग से तैयार की जाएगी।

(ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद।

(iii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सुरक्षा ढांचे में मुख्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के पदः–

(क) मुख्य सुरक्षा अधिकारी के अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाएगा जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) तैनात है।

(ख) जहां के. औ. सु. ब. सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात नहीं हैं वहां समय–समय पर यथा संशोधित डी पी ई के दिनांक 1.2.1999 के का.ज्ञा. सं. 6/22/93 जी एल–15/डी पी ई (एस सी/एस टी) में यथा उपबंधित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए महानिदेशालय, पुनर्स्थापित (डी जी आर) से अनुरोध किया जाना चाहिए।

(ग) जहां के.औ.सु.ब. तैनात नहीं हैं डी जी आर द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा एजेंसियों से भिन्न किसी विशेष बल सु सुरक्षा अपेक्षित है वहां के.औ.सु.ब. (सी आर पी एफ) और के.औ.सु.ब. (सी आई एस एफ) जैसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों, के.औ. सु.ब./क.औ.सु.ब./आर पी एफ/आर पी एस एफ जैसे रेलवे सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस बल से निरीक्षक और उससे निचले रैंक के कार्मिकों को रिफाइनरी, पाइपलाइन, विद्युत संयंत्र, मेट्रो रेल आदि जैसी महत्वपूर्ण स्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।

(घ) विशिष्ट बलों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए सुरक्षा कार्मिकों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगम/प्रशासनिक कार्यालयों अथवा रिहायशी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।

4. ''तत्काल आमेलन के नियम'' से किसी विशिष्ट श्रेणी के पदों को छूट देने संबंधी मानदंड विशेष पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता होनी चाहिए। पदों को नियमित आधार पर भरे जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर पद भरे जाने के लिए विकल्प का प्रयोग अपवाद के रूप में किया जाना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हों।

5. छूट किए जाने वाले पदों की संख्या का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में लो.उ.वि. की सहमति से मामला–दर–मामला आधार पर लिया जाएगा। छूट पर सहमति देते हुए लो.उ.वि. पर पैरा 4 में वर्णित मानदंड ध्यान में रखेगा।

6. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उन पदों के लिए, जिन्हें ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाता, की तत्काल आमेन के नियम से छूट कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के दिनांक 25.4.2005 के का.ज्ञा. सं. 4/10/2005 पी एण्ड पी डब्ल्यू (डी) में दिए गए उपबंध के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर लोक उद्यम विभाग से प्राप्त करनी होगी।

7. प्रतिनियुक्ति की अवधि निदेशक मंडल स्तर के पदों के मामले में 5 वर्ष और निदेशक मंडल स्तर से निचले पदों के मामले में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, सा.क्षे. के उद्यमों में पदों पर नियुक्त संगठित सेवाओं के अधिकारियों का कार्यकाल वही होना चाहिए जो केन्द्र में उनकी प्रति नियुक्ति पर उनके मामले में स्वीकार्य है।

8. उपरोक्त निर्णय रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्यमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी केन्द्रीय उद्यमों पर लागू होगा।

9. निदेशक मंडल के स्तर से निचले स्तर के पदों के लिए लोक उद्यम विभाग ए सी सी के अनुमोदन से उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए क्षेत्रीय/तकनीकी विभागों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

10. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपरोक्त निर्णय नोट करने और सभी संबंधित उद्यमों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी जानकारी देने का अनुरोध किया जाता है।

(लो.उ.वि. का दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(6)/2001–जीएम–जीएल–77)